बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / BSP(H)CL–06 / 2025(खंड–I)– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :– **"मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" के विस्तारीकरण के अन्तर्गत जुलाई, 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली प्रति माह खपत तक शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान करने के फलस्वरूप विद्युत शुल्क मद में उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की गयी राशि 349.20 करोड़ (तीन सौ उनचास करोड़ बीस लाख) रूपये वाणिज्य कर विभाग, बिहार को भुगतान करने हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई, 2025 से 125 यूनिट प्रति माह खपत तक शत–प्रतिशत अनुदान देने हेतु "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" के विस्तारीकरण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अतिरिक्त 3797.00 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0–3457, दिनांक–18.07.2025 द्वारा प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था से ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक विद्युत खपत 125 यूनिट तक है, उन्हें कोई विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं करना है एवं वैसे उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत खपत 125 यूनिट से ज्यादा है, उन्हें भी 125 यूनिट तक कोई भुगतान नहीं करना है तथा केवल 125 यूनिट से ज्यादा यूनिट का ही पूर्ववत् अनुदान के तहत विद्युत विपत्र का भुगतान करना है।

3. विद्युत विपत्र में मुख्य रूप से तीन घटक शामिल होते हैं यथा– नियत शुल्क (Fixed Charge), ऊर्जा शुल्क (Energy Charge) एवं विद्युत शुल्क (Electricity Duty), यह तीनों मद में से विद्युत शुल्क (Electricity Duty) की राशि उपभोक्ताओं से वसूल कर वितरण कंपनियों द्वारा वाणिज्य कर विभाग, बिहार को भुगतान की जाती है। राज्य सरकार के घोषणानुसार 125 यूनिट तक शून्य विपत्र होने के कारण वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत शुल्क के मद में उपभोक्ताओं से कोई राशि वसूली नहीं की गई परंतु बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के प्रावधानानुसार विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क का भुगतान वाणिज्य कर विभाग, बिहार को करना होगा। घोषित 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई 3797.00 करोड़ रूपये में विद्युत शुल्क (Electricity Duty) मद की राशि शामिल नहीं है। इस बीच वाणिज्य कर विभाग, बिहार द्वारा लगातार बकाया विद्युत शुल्क भुगतान की माँग की जा रही है।

4. इस प्रकार, माह जुलाई, 2025 से माह नवम्बर, 2025 तक वास्तविक खपत 4239.44 मिलियन यूनिट के आधार पर 190.03 करोड़ रूपये विद्युत शुल्क (Electricity Duty) आकलित की गई एवं वित्तीय वर्ष के शेष चार माह दिसम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक 3553.86 मिलियन यूनिट खपत के आधार पर 159.17 करोड़ रूपये अनुमानित है। तदनुसार, विद्युत शुल्क (Electricity Duty) मद में कुल 349.20 करोड़ रूपये आकलित की गई है, जो कि विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के प्रावधानानुसार वाणिज्य कर विभाग, बिहार को सीधे भुगतान की जानी है।

5. उक्त आलोक में ''मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'' के विस्तारीकरण के अन्तर्गत जुलाई, 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली प्रति माह खपत तक शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान करने के फलस्वरूप विद्युत शुल्क मद में उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की गयी राशि 349.20 करोड़ (तीन सौ उनचास करोड़ बीस लाख) रूपये वाणिज्य कर विभाग, बिहार को भुगतान करने हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष, 2801–विद्युत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष–0004–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 विपत्र कोड–10–2801801900004 विषय शीर्ष–33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में तृतीय अनुपूरक से उपबंधित राशि से मुख्य शीर्ष–0043–बिजली पर कर और शुल्क, लघुशीर्ष–101–बिजली की खपत और बिजली पर कर, विपत्र कोड–(आर)– 0043001010001 में बुक ट्रांसफर के माध्यम से राशि का भुगतान किया जायेगा।

7. उक्त योजना की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में की गयी है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०/BSP(H)CL–06/2025(खंड–I) के पृष्ठ संख्या–58/टि0 पर दिनांक–06.02.2026 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०/BSP(H)CL–06/2025(खंड–I) के पृष्ठ संख्या– 61 /टि0 पर दिनांक– 10.02.2026 को प्राप्त है।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/BSP(H)CL–06/2025(खंड–I)– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/BSP(H)CL–06/2025(खंड–I)– 825 /पटना, दिनांक– 11.02.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.02.26

सरकार के संयुक्त सचिव।